


30/01/21 पञ्जाब के राज्य के कानून  
के अन्तर्गत स्वीकार किया  
जाया। आन्तरिक निर्माण के  
द्वारा सुधार के द्वारा इलाका  
का विकास करना पञ्जाब के  
द्वारा किया पञ्जाब के  
द्वारा किया पञ्जाब के  
द्वारा किया पञ्जाब के  
द्वारा किया पञ्जाब के  
द्वारा किया पञ्जाब के



(बि. देव)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपसचिव अधिकारी  
विशेष (स.स.)